Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).
[Confiscation Appeal Case No.- 90 /2025]

Kasamdeen ....Appellant
Versus
The State of Bihar……............................Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	11.11.2025	**आदेश** यह अधिहरण अपील वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा रिट याचिका सं0-1468/2023 में दिनांक-23.6.2025 को पारित आदेश के आलोक में न्यायालय समाहर्त्ता, सुपौल द्वारा आपूर्ति अधिहरण वाद सं0-37/2022 में दिनांक-10.2.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गयी। विपक्षी राज्य की ओर से जवाब दाखिल है। दिनांक-01.11.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। Petitioner का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र Reply/Rejoinder आदि के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि अपीलार्थी के वाहन (ट्रक नं0-RJ02-GB-8707) को सरकारी अनुदानित चावल को कालाबाजारी हेतु कहीं अन्यत्र ले जाने के क्रम में जब्त किया गया। इस संबंध में अपीलार्थी का कहना है कि वे उक्त मालवाहक वाहन (ट्रक) के Registered Owner हैं। जिसे दिनांक-07.10.2026 तक के लिए National Permit प्राप्त है। तथा वे स्वयं उक्त ट्रक के चालक हैं। सुमन ट्रेडर द्वारा भागलपुर चावल ले जाने हेतु उनके वाहन को भाड़े पर लिया गया। उन्हें उक्त चावल के अनुदानित होने की पूर्व जानकारी नहीं थी। अपीलार्थी का यह भी कहना है कि वे ना तो PDS डीलर हैं और ना हीं जब्त चावल के मालिक हैं। किन्तु उनकी ओर से किसी भी गलती के बिना उन्हें नुकशान हो रहा है। अपीलार्थी का यह भी कहना है कि उनका वाहन (ट्रक) बिना किसी सुरक्षा के पुलिस स्टेशन के परिसर में लावारिस हालत में खड़ा है। और इसकी भौतिक स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होते जा रही है। वाहन को खड़ा रखने से किसी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने अपने आजीविका के लिए ऋण लेकर वाहन खरीदा है। और वह उक्त ऋण को चुका रहा है। उक्त के आलोक में उनके द्वारा न्यायहित में उक्त वाहन को Release करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक, आवश्यक वस्तु अधिनियम, सहरसा द्वारा दाखिल लिखित जवाब में अंकित है कि सुमन ट्रेडर्स के प्रोपराईटर के मिलीभगत से जब्त सरकारी चावल को कालाबाजारी हेतु उक्त वाहन से कहीं अन्यत्र ले जाया जा रहा था। जिसमें वाहन मालिक की संलिप्तता के आधार पर समाहर्त्ता, सुपौल द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। उभय पक्ष के अभिकथन तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों के समीक्षोपरान्त स्पष्ट है कि प्रश्नगत चावल के जब्ती के समय वाहन चालक -सह- मालिक फरार पाये गये। अपीलार्थी की ओर से सुनवाई में प्रमाणित आरोपों को Negate करने हेतु कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। वर्त्तमान सुनवाई में अपीलार्थी की ओर से कोई नया तथ्य अथवा साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया जा सका है। अभिलेख के अनुसार इस मामले में सरकारी अनुदानित चावल के कालाबाजारी में वादी वाहन चालक -सह- मालिक की संलिप्तता प्रमाणित हो रहा है। निम्न न्यायालय के स्तर से संगत तथ्यों एवं साक्ष्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत है। अतः इस अपीलवाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। Raj K. 11.11.2025. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। Raj K. 11.11.2025. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमंडल, सहरसा सत्यमेव जयते